कार्यालय – न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय कोरबा (छ0ग0)

// आदेश //

क्रमांक 17 /दो-11-01/2024 कोरबा, दिनांक 11-11-2024

इस जिला स्थापना में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु गठित भर्ती समिति के अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थी को वाहन चालक के पद पर छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के वेतन मेट्रिक्स लेवल-4 (19500-62000) में अस्थायी रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्नांकित निर्धारित शर्तों के अधीन उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है:-

क्र.	चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	वर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री भुनेश्वर प्रसाद साहू पिता चुन्नी लाल साहू	म.नं. 644 डिमरापारा कोटा जिला रायपुर छ0ग0, गांधी चौक ग्राम वरगन तह0 पलारी जिला बलौदाबाजार छ0ग0	OBC

नियुक्ति की शर्तें०:-

1. यह नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा।
2. कार्यभार ग्रहण करने के समय नियुक्ति के पद हेतु आवेदन पत्र में उल्लेखित शैक्षणिक/ तकनीकी योग्यताओं से संबंधित अंकसूची/प्रमाण पत्र मूलतः प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसे अवलोकन के बाद लौटाया जावेगा तथा इन दस्तावेजों की दो-दो स्वप्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत करना होगा।
3. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह शासकीय सेवा हेतु योग्य है। यदि वह स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उनका नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा।
4. चयनित अभ्यर्थी को अनुप्रमाणन फार्म पूर्तिकर तीन प्रतियों में शपथपत्र सहित प्रस्तुत करना होगा। यदि चरित्र सत्यापन में सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया गया तो सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।
5. किसी भी पक्ष के द्वारा एक माह पूर्व नोटिस अथवा एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर सेवा समाप्त की जा सकती है।
6. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे 01 वर्ष तक और बढ़ायी जा सकेगी और जब तक स्थायी न कर दिया जाये तब तक उन्हें परिवीक्षा पर माना जावेगा।
7. नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना शासकीय / अर्द्धशासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं की जावेगी।

नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं की जावेगी।

8. शैक्षणिक तथा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र किसी भी स्तर पर असत्य अथवा अमान्य पाये जाने पर अथवा नियुक्ति हेतु कोई तथ्य छुपाया जाना, पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से बिना सूचना के निरस्त कर दी जावेगी।

9. सेवा में प्रथम वर्ष में उच्च शिक्षा हेतु अध्ययन के लिए अनुमति नहीं दी जावेगी, तथा कार्यालय प्रमुख की अनुमति उपरांत ही उच्च शिक्षा हेतु आवेदन अथवा अध्ययन प्रारंभ की जा सकेगी।

10. चयनित अभ्यर्थी की पदस्थापना जिला स्थापना कोरबा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत किसी भी न्यायालय या अनुभाग में की जा सकती है।

11. आरक्षित पद के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3 दिनांक 29.06.2013 में संलग्न प्रारूप के अनुसार शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। (प्रारूप संलग्न)

12. **चयनित** अभ्यर्थी **को दिनांक 26-11-2024 तक अनिवार्य रूप से अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। यदि उनके द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाता है तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से अपात्र किया जावेगा तथा चयनित सूची से उनका नाम पृथक कर दिया जावेगा।**

13. **यह नियुक्ति आदेश चयनित** अभ्यर्थी **के उपलब्ध पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित की जा रही है, साथ ही जिला न्यायालय कोरबा के वेबसाईट पर भी उपलब्ध की जा रही है। चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाईट से डाउनलोड करके भी अपना कार्यभार ग्रहण कर सकते है।**

जिला न्यायालय कोरबा के वेबसाईट में सुधार कार्य होने के कारण यदि नियुक्ति आदेश डाउनलोड नहीं हो पाता है, तो चयनित अभ्यर्थी कार्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पित नियुक्त आदेश की छायाप्रति कराकर भी कार्यभार ग्रहण कर सकते है।

14. कार्यभार ग्रहण करते समय 02 नग सेवा-पुस्तिका प्रस्तुत करना होगा।

15. यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ जिला न्यायपालिका स्थापना (भर्ती एवं सेवा शर्तें) कर्मचारी नियम, 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत की जा रही है, अतः इस आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त उनकी सेवाएं उक्त नियम के प्रावधानों से शासित होंगी।

11-11-24

(ओंकार प्रसाद गुप्ता)
न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय
कोरबा (छ.ग.)

255

पृष्ठांकन क्रमांक /दो-11-1/2024 कोरबा, दिनांक11-11-2024

प्रतिलिपिः-

1. लेखापाल / नाजिर, कार्यालय न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय कोरबा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

2. श्री भुनेश्वर प्रसाद साहू पिता चुन्नी लाल साहू निवासी मं.नं. 644 डिमरापारा कोटा जिला–रायपुर छ0ग0, गोधी चौक ग्राम–वरगन तह0 पलारी जिला–बलौदाबाजार छ0ग0 की ओर सूचनार्थ / पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

11-11-24

(ओंकार प्रसाद गुप्ता)
न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय
कोरबा (छ.ग.)